

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:पं.04(1)चिरदा/2/24/EFILE-11545

जयपुर, दिनांक:

आदेश

डॉ० महेन्द्र कुमार लाम्बा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (चर्मरोग) राजकीय सेवा दिनांक 10.01.2023 से स्वैच्छा से अनुपस्थित रहकर पुनः कार्यग्रहण हेतु उपस्थित हुये है, के विरुद्ध सीसीए नियम-16 में अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रीति माथुर)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा० चिकित्सा मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
3. निदेशक जन स्वा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को भेजकर लेख है कि डॉ० महेन्द्र कुमार लाम्बा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (चर्मरोग) के विरुद्ध स्वैच्छा से अनुपस्थिति के लिए सीसीए नियम-16 में आरोप पत्रादि तैयार करवाकर अक्टूबर इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. डॉ० महेन्द्र कुमार लाम्बा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (चर्मरोग) को पालनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर कक्ष।

शासन संयुक्त सचिव

RajKaj Ref
7837622

Document certified by PREETI MATHUR
<adwececell.we@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by Preeti Mathur
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 10-06-2024 12:24:35

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/एम-1478/2024/ 578

दिनांक : 11/06/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके राजकाज नं 7837622 दिनांक 10.06.2024 के क्रम में।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- अजमेर ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी नागौर को भेजकर लेख है कि डॉ०महेन्द्र कुमार लाम्बा (जन्मतिथी-10.01.2023) वचिअ के दिनांक 10.01.2023 से स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव कार्मिक विभाग के नवीन परिपत्रानुसार तैयार कर अविलम्ब निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करावे ।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करावे ।
6. अति. प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी/सीबी (राजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय ।
7. डॉ० महेन्द्र कुमार लाम्बा (जन्मतिथी-15.06.1982) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (चर्मरोग) को पालनार्थ ।
8. रक्षित/निजी पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर ।